न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010042842026

Bail Application/1234/2026

Aditya Kumar Vs. State of U.P.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1234/2026

आदित्य कुमार पुत्र छत्रपाल सिहँ निवासी 342 नजदीक बडा बाजार धौलाना वार्ड नं0–9 धौलाना थाना धौलाना जिला हापुड ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु०अ०सं०–130/2026

अ0धारा 318(4),338,336(3),340(2),319(2),61(2)बी.एन.एस

थाना–धौलाना, जिला हापुड

29.06.2026

अभियुक्त आदित्य कुमार पुत्र छत्रपाल सिहँ की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में अर्न्तगत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/ अभियुक्त को उपरोक्त केस में बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त केस से कोई ताल्लुक वास्ता किसी भी प्रकार का नही है। प्रार्थी/अभियुक्त को गाँव मौहल्ले की पार्टी बाजी के आधार पर उपरोक्त केस में षडयंत्र के तहत झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त केस के वादी विनोद कुमार शिशौदिया एडवोकेट तत्कालीन अध्यक्ष तहसील बार एसोसियेशन धौलाना के विरूद्ध थाना धौलाना में शिकायत करके एक मुकदमा अ०सं० 38/2024 धारा 420, 467, 468, 471 आई०पी०सी० प्रार्थी/ अभियुक्त की बहन मीनाक्षी शिशौदिया द्वारा एक मुकदमा अ०स0 306/2022 अ0 धारा 323,354,504,506 आई०पी०सी० थाना धौलाना ,मु0अ0स0 332/2021 अं०धारा 147,148,452,354 आई०पी०सी० थाना धौलाना में दर्ज करा रखे हैं जिनमें दबाव बनाने के उददेश्य से उपरोक्त झूठा मुकदमा प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त ने सुनियोजित, धोखाधडीपूर्ण षड़यंत्र के तहत असत्य कथनों को सत्य घोषणा पत्र एवं फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए धोखा

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.01 12:26:09 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

धड़ी से एक समय में दो विश्वविद्यालयों में अवैधरुप से प्रवेश प्राप्त करके वास्तविक उपस्थिति के अभाव में मिली भगत से उपस्थिति दर्ज कराकर परीक्षा में सम्मिलित होकर विधि विरुद्ध तरीके से एलएल,बी. की परीक्षा पास नही की बल्कि विधि अनुसार एल.एल.बी, की परीक्षा पास की है जिनको बिना सत्यापित कराये न्यायालय सी. जे.एम, महोदय हापुड के यहाँ से धारा 173(4) बी.एन.एस.एस के माध्यम से झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त प्रकरण से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत मिलने पर उक्त केस की विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा जब भी मान्य न्यायालय प्रार्थी/ अभियुक्त को तलब करेगी तो प्रार्थी/अभियुक्त समय से माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त केस प्रेमा फेसाई मेड आउट नही है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने व गवाहान सबूत तोडने एवं प्रभावित करने का कोई अंदेशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अत्याधिक बीमार है तथा हार्टपेशेन्ट व्यक्ति है जिसका वर्तमान में इलाज चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में कोई केस प्रेमा फेसाई मेड आउट नही होता है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिये अपनी उचित अग्रिम जमानत पेश करने को तैयार है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा कोई जाली दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है । उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया। समर्थन में सूची से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है ।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्त का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अनुसार अग्रिम जमानत में न्यायालय निम्नलिखित बातें पर विचार करेगी–

(1) अभियेाग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ।

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता और

(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियेाग लगाया गया हो।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्रार्थी/वादी धौलाना बार एशोसिएसन का निर्वाचित अध्यक्ष है। बार एसोसियेशन एक विधिक रूप से पंजीकृत निकाय है जो जिले की न्यायिक प्रणाली की गरिमा एवं अधिवक्तागण की

शुचिता की रक्षा के लिये उत्तरदायी है। अभियुक्त आदित्य कुमार बार एसोसिएशन धौलाना का सदस्य होकर न्यायालय में अधिचका के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है। अतः प्रार्थी/वादी को इस प्रकरण में वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार एवं विधिक हित है। अभियुक्त आदित्य कुमार ने वर्ष 2018 में चौधरी चरण सिंह विश्व विद्यालय से सम्वद्ध दयावती कालेज ऑफ ला बनखण्डा, जिला हापुड में एमएलबी (3 वर्षीय) पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया तथा कक्षाओं में उपस्थित रहा। अभियुक्त चौधरी चरण सिंह विश्व विद्यालय में सक्रिय रूप से नामांकित रहा जिसका एनरोलमेंट न0 एम 1815785 व रोल न0 180084153004 है। अभियुक्त, आदित्य कुमार द्वारा दिसम्बर 2018 में प्रथम सेमिस्टर, जून 2019 में द्वितीय सेमिस्टर, दिसम्बर 2019 में तृतीय सेमिस्टर, जून 2020 में चतुर्थ सेमिस्टर तक की परिक्षायें दी जिसमें अभियुक्त फेल हुआ तथा दिसम्बर 2020 में पंचम सेमिस्टर में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी/वादी को ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018 में ही जब वह चौधरी चरण सिंह विश्व विद्यालय से दयावती कालेज ऑफ लां बनखण्डा का नियमित छात्र था तथा उसका नामांकन सक्रिय था उसने महर्षि सूचना प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय (MUIT) नोएडा कैम्पस में भी एलएलबी (3 वर्षीय) पाठ्क्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया तथा कक्षाओं में उपस्थित रहा। जिसका एनरोलमेंट नं MUIT 0219047108 व रोल न० 1802997108 था। अभियुक्त ने दोनों विश्वविद्यालयों में एक दूसरे विश्वविद्यालय के नामांकन की तथ्यात्मक जानकारी जानबूझकर छिपाई और असत्य घोषणा पत्र देकर दोनों विश्वविद्यालय में एक साथ प्रवेश प्राप्त किया तथा दोनों कालिजों में एक साथ नियमित कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज कराची। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त दोनों में से किसी भी कालिज में नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हुआ। क्योंकि एक छात्र नियमित रूप से एक समय में 2 कालिजों में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। अभियुक्त स0 1 यहां के प्रवन्धक /कर्मचारी/अध्यापको से मिलकर साज करके बिना कालिज जाये अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा ताकि परीक्षाये देने के लिए अनिवार्य उपस्थिति कम ना हो। अभियुक्त वर्ष 2018 से 2021 तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में नियमित रूप से नामांकित था। बार कौसिल ऑफ इण्डिया के लीगल एजुकेशन रूलस 2008 के अन्तर्गत एक साथ 2 विश्वविद्यालयों में एलएलबी में नामांकन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यूजीसी की ड्यूल डिग्री पालिसी भी प्रोफेशनल ला कोर्स पर लागू नहीं होगी, क्योकि बीसीआई एक वैधानिक नियामक (स्टैच्यूटरी रेग्यूलेटर) है। अभियुक्त द्वारा चौधरी चरण विश्वविद्यालय मेरठ तथा MUIT कैम्पस नोएडा को दी गयी डिक्लेयरेशन असत्य एवं कपटपूर्ण बी। अभियुक द्वारा MUIT कैम्पस नोएडा से वर्ष 2021 में एलएलवी की डिग्री कपटपूर्ण, असत्य एवं विधि विरूद्ध आधारो पर प्राप्त की गयी है। अभियुक्त ने उक्त कपटपूर्ण रीति एलएलबी डिग्री के आधार पर बार कौसिल ऑफ उप्र, प्रयागराज में Enrolment NoUP23185/2023 के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करा लिया। उक्त नामाकन कपट एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है और विधि की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य (Voidabinitio) है। प्रार्थी/वादी ने अभियुक्त के विरूद्ध बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भी दिनांक 23082024 को शिकायत दर्ज करायी थी। जिस पर सुनवाई उपरान्त बार काउंसिल

ऑफ उप्र की अनुशासनात्मक समीति द्वारा दिनाक 05022025 को अभियुक्त का रजिस्ट्रेशन अग्रिम आदेश तक प्रतिवन्धित (डिवारड) कर दिया गया तथा आदेश की प्रति जिला जज महोदय हापुड, जिला मजिस्ट्रेट महोदय हापुड तथा उपजिलाधिकारी महोदय धौलाना को भेज दी गयी। जिसकी सूचना विधिवत रूप से अभियुक्त को भी प्राप्त हो गयी। अभियुक्त के वकालत करने पर रोक लगाने के बावजूद भी अभियुक्त आदित्य वकालत करता रहा तथा वकालतनामे फाइल करता रहा। जिस पर प्रार्थी/वादी की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक धौलाना श्री रामकिशोर द्वारा मु0अ0स0 142/2025, अंधारा 318 (4), 338,336 (3), 340 (2) वीएनएस व 45 एडवोकेट एक्ट में थाना धौलाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियुक्त आदित्य कुमार द्वारा बार काउंसिल ऑफ उप्र में आदेश दिनांक 05022025 को रिकाल करने हेतू प्रार्थना पत्र दिया जिस पर समीति द्वारा दिनांक 30052025 को आदेश दिनांक 05022025 रिकाल कर दिया गया तथा अग्रिम आदेश तक स्टे कर दिया गया। अभियुक्त फर्जी, कूटरचित व कपटपूर्वक प्राप्त डिग्री के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराकर बेईमानी से स्वय को सदोप लाभ व जनता को सदोष हानि पहुंचाने के उददेश्य से जनता व वादकारियो को कपटपूर्वक धोखा दे रहा है जिससे जिला हापुड की घोलाना वार की छवि खराब हो रही है तथा वादकारियों को नुकसान हो रहा है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध थानाधौलाना पर मुअसं 666/2018, मुअस 59/2021, मुअसं 333/2021, मुअसं 307/2022 तथा मु०अ०सं० 142/2025 दर्ज है। प्रार्थी/वादी द्वारा थाना धौलाना/समाधान दिवस में अभियुक्त के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु कोई कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध नहीं की गयी। तब प्रार्थी ने श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय, हापुड को दिनांक 28.03.2026 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया किन्तु उसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपो का विधिक आधार निम्न प्रकार है – (1) धारा 318 (4) वीएनएस (420 आईपीसी) अभियुक्त ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ तथा MUIT कैम्पस नोएडा को असत्य तथ्य बताकर कि वह किसी अन्य विश्वविद्यालय मे नामाकित नहीं है उसे बेईमानी से धोखा (Dishonestly Deceive) दिया और बेईमानी व कपटपूर्ण रीति से प्रवेश एव डिग्री प्राप्त की। यह कृत्य धारा 420 आईपीसी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। है। (ii) धारा 338 वीएनएस (467 आईपीसी) अभियुक्त ने असत्य घोषणा पत्र (Declaration) देकर एक एलएलवी डिग्री जो मूल्यवान प्रतिभूति (Valuable Security) है। कपटपूर्ण रीति से कूटरचित डिग्री प्राप्त की। यह कृत्य धारा 467 आईपीसी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। (iii) धारा 336 (3) बीएनएस (468 आईपीसी) अभियुक्त ने छल के प्रयोजन से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय तथा डन्प्ज कैम्पस नोएडा में झूठे दस्तावेज (False Documents) एव झूठी घोषणा (False Declaration) का उपयोग किया। यह कृत्य धारा 468 आईपीसी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। (iv) धारा 340 (2) वीएनएस (471 आईपीसी) अभियुक्त ने MUIT कैम्पस नोएडा से कपटपूर्ण रीति से कूटरचित एलएलबी डिग्री को बार काउंसिल ऑफ उप के समक्ष असली दस्तावेज (Genuine Document) के रूप में प्रस्तुत किया और उक्त के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन (Enrollment) प्राप्त किया। यह कृत्य धारा 471 आईपीसी के

अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। (अ) धारा 319 (2) बीएनएस (419 आईपीसी) अभियुक्त ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय तथा MUIT कैम्पस नोएडा के समक्ष स्वय को एक ऐसे छात्र के रूप में प्रस्तुत किया जो किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामाकित नहीं है जब कि वास्तव में वह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अथवा MUIT कैम्पस नोएडा दोनों में से एक में नामाकित था। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 419 आईपीसी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। (Vi) धारा 61 (2) वीएनएस (120 बी आईपीसी) दयावती कालिज ऑफ ला नखण्डा जिला हापुड व MUIT कैम्पस नोएडा के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों/अध्यापको ने अभियुक्त की दोहरे नामाकन (Dual Enrollment) की जानकारी होते हुये भी उसे प्रवेश एवं डिग्री दिलाई तथा कक्षाओं में उपस्थित ना होते हुये भी उसकी उपस्थिति पूर्ण करायी। वे भी धारा 120 बी आईपीसी के अन्तर्गत आपराधिक षडयन्त्र के दोषी है। प्रार्थी/वादी माननीय न्यायालय से निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके थान धौलाना को अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने एव विधि के अनुसार अन्वेषण करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। ''

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अ0 धारा 173 (4)बी.एन.एस,एस. पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–130/2026, अ0धारा 318(4),338,336(3),340(2), 319(2), 61(2)बी.एन.एस, थाना–धौलाना, जिला हापुड में पंजीकृत हुआ है । अभियुक्त एक पंजीकृत अधिवक्ता है , ऐसी दशा में उसके भागने व गवाहान सबूत तोडने एवं प्रभावित करने का कोई अंदेशा नही है। ऐसी दशा में मामले के तथ्य, परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी /अभियुक्त आदित्य कुमार पुत्र छत्रपाल सिहँ का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो पर स्वीकार किया जाता है–

<u>आदेश</u>

यदि प्रार्थी /अभियुक्त आदित्य कुमार पुत्र छत्रपाल सिहँ को मु0अ0सं0 130/2026,अ0धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2),319(2),61(2)बी.एन.एस,थाना धौलाना, जिला हापुड में गिरफतार किया जाता है तो प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा रूपये 50,000/– के निजी बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोडा जाये–

1. प्रार्थी /अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ हेतु स्वयं उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी /अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी व वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. प्रार्थी /अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

4. प्रार्थी /अभियुक्त इस तरह का अपराध नहीं करेगा। इस तरह के अपराध में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

5. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने या डराने धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

6. प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा विवेचना/विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना/न्यायालय को भेजी जाये।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।